परीक्षा नियंत्रक

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी – 221 002

दिनांक : 23/02/2011

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 11.02.2011 को अपराह्न 03:30 बजे मा0 कुलपतिजी की अध्यक्षता में पंत प्रशासनिक भवन स्थित कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। परीक्षा समिति में अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए–

1. प्रो0 अवध राम, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. प्रो0 के0 सो0 पाण्डेय, समाजविज्ञान संकाय	–	सदस्य
3. प्रो0 मणिभूषण पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, समाजकार्य संकाय	–	सदस्य
4. प्रो0 एम0 के0 दास, संकायाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र संकाय	–	सदस्य
5. डॉ0 सुभाष चन्द्र सिंह, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय	–	सदस्य
6. प्रो0 राममोहन पाठक, संकायाध्यक्ष, म0मो0मा0 हिन्दी पत्रकारिता संकाय	–	सदस्य
7. प्रो0 सत्या सिंह, संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय	–	सदस्य
8. प्रो0 मुन्नी लाल, संकायाध्यक्ष, छात्रकल्याण संकाय	–	सदस्य
9. प्रो0 पुरूषोत्तम पाण्डेय, सहा0 कुलानुशासक	–	सदस्य
10. प्रो0 नन्द लाल, परीक्षा नियंत्रक	–	सदस्य/सचिव
11. डॉ0 मोहम्मद आरिफ, उप परीक्षा नियंत्रक	–	सदस्य
12. डॉ0 संदीप गिरी, सहा0 परीक्षा नियंत्रक	–	सदस्य
13. श्री आई0 पी0 झा, कुलसचिव	–	सदस्य
14. श्री एस0 एन0 सिंह, उप कुलसचिव–परीक्षा गोपनीय	–	सदस्य

परीक्षा समिति के समक्ष विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के नकल सम्बन्धी प्रकरण पर जांच समिति की आख्या रखी गयी तत्पश्चात् **समिति में अधोलिखित निर्णय लिये गये–**

समिति ने निर्णय किया कि जो परीक्षार्थी परीक्षा के समय अभद्र व्यवहार किये और चिट खा गये उनकी सत्र 2009–10 के परीक्षाफल को निरस्त कर दिया जाय और वर्ष 2010–11 की परीक्षा में बैठने से भी वंचित कर दिया जाय।

जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा कक्ष में मोबाइल लिया था उन पर रू0 200/– अर्थदण्ड लगाकर वर्ष 2009–10 के उनके परीक्षाफल को घोषित किये जाने का निर्णय समिति ने किया और समिति ने यह भी व्यवस्था दिया है कि अर्थदण्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग में कैशियर के पास जमा कराया जाय।

हाथ इत्यादि पर जिन परीक्षार्थियों ने नकल की सामग्री लिखा था या जिनका कोई साक्ष्य नहीं था, ऐसे प्रकरण पर समिति ने परीक्षार्थियों के वर्ष 2009–10 के परीक्षाफल को निरस्त करने का निर्णय किया।

वास्तविक परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य किसी दूसरे द्वारा परीक्षा देते समय पकड़ा गया, अथवा जिन परीक्षार्थियों ने दोबारा नकल किया था उनको हमेशा के लिए परीक्षा से वंचित किया गया।

प्रश्नपत्र/विषय से सम्बन्धित नकल सामग्री नहीं होने की स्थिति मे उनका परीक्षाफल घोषित करने का निर्णय समिति ने किया।

अध्यक्ष को धन्यवाद देकर समिति की कार्यवाही समाप्त हुई—

ह0—
परीक्षा नियंत्रक

ह0—
कुलपति

पत्रांक — प0गो0/4776/परीक्षा समिति/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. मा0 कुलपति जी।
2. परीक्षा समिति के सदस्यगण।
3. वित्त अधिकारी।
4. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
5. अधीक्षक, समिति अनुभाग।
6. अधीक्षक, परीक्षा सामान्य।
7. प्रभारी, शुल्क काउण्टर ।
8. प्रभारी, संगणक केन्द्र को इस आशय से कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर सम्बन्धित सूचना को उपलब्ध करा दें।

परीक्षा नियंत्रक